

सं०सं०-७/जन स्वा०-८-०१/२०१७-१५३(७)०  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना  
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : २०-०२-१८

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या २० अन्तर्गत मुख्य शीर्ष २२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-०६-लोक स्वास्थ्य-००३ प्रशिक्षण-०००२ जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-२०-२२१००६००३०००२ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ में वेतन भत्ते मर्दों में कुल ₹ ६०,७७,०००/- (साठ लाख सतहत्तर हजार रूपये ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-११(७)ब दिनांक-१५.०५.१७, ५१(७)ब दिनांक-३०.०८.१७, ६६(७)ब दिनांक-२१.०९.१७ १०९(७)ब दिनांक-११.१२.१७ एवं १२१(७)ब दिनांक-२७.१२.१७ के क्रम में वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ में वेतन भत्ते मर्दों में कुल ₹ ६०,७७,०००/- (साठ लाख सतहत्तर हजार रूपये ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

२. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० २५६१ वि० (२) दिनांक १७.४.९८, परिपत्र ३२६ वि० दिनांक-२.०४.२०१४ तथा २९५ वि० दिनांक-०४.०३.१५ में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

३. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या २० अन्तर्गत मुख्य शीर्ष २२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-०६-लोक स्वास्थ्य-००३ प्रशिक्षण-०००२ जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड २०-२२१००६००३०००२ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।

४. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना / संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

५. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

६. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

७. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

८. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

९. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।


10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

  
20/2/18


( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 143(7)a

पटना, दिनांक : 20-02-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं हं0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

  
20/2/18

सरकार के विशेष सचिव



विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क्षेत्र प्रदर्शन केन्द्र, राजगीर, नालन्दा	1000000	1500000	127000	0	18000	12000	2657000	44/27.1.18
2	सिविल सर्जन, पटना	220000	330000	33000	12600	2200	2200	600000	817/1.2.18
3	सिविल सर्जन, सीतामढ़ी	500000	750000	40000	0	5000	5000	1300000	342/2.2.18
4	सिविल सर्जन, गया	500000	950000	50000	0	10000	10000	1520000	271/29.1.18
	कुल योग:-	2220000	3530000	250000	12600	35200	29200	6077000	

(साठ लाख सतहत्तर हजार) रु० मात्र

143(F)9  
20-02-18

*[Signature]*  
सरकार के विशेष सचिव  
*[Signature]*

**वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002  
उपबंध की स्थिति**

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित साशि	पूर्व में आवंटित साशि	वर्तमान में आवंटित साशि	कुल आवंटित साशि	अवशेष साशि
1	वेतन (0002-01-01)	60300000	48515000	2220000	50735000	9565000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	78994000	62807500	3530000	66337500	12656500
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	11294000	8332400	250000	8582400	2711600
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	354000	329600	12600	342200	11800
5	विकिरसा भत्ता (0002-01-06)	1017000	729230	35200	764430	252570
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	975000	730220	29200	759420	215580
	<b>योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन</b>	<b>152934000</b>	<b>121443950</b>	<b>6077000</b>	<b>127520950</b>	<b>25413050</b>
7	विकिरसा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	200000	196543	0	196543	3457
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	100000	80000	0	80000	20000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	200000	200000	0	200000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	200000	100000	0	100000	100000
11	दूरभाष (0002-13-03)	12000	12000	0	12000	0
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	250000	250000	0	250000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	100000	0	100000	0
14	वर्दा / पोषाक (0002-13-06)	100000	100000	0	100000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	108000	108000	0	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03) *	700000	0	0	0	700000
17	सामग्री एवं पूर्तिर्षा (0002-21-01)	100000	100000	0	100000	0
18	दवा भंडार (0002-21-02)	100000	0	0	0	100000
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (0002-34-01)	26000	26000	0	26000	0
20	मशीने एवं उपकरण (0002-52-01)	100000	100000	0	100000	0
	<b>कुल योग:-</b>	<b>155230000</b>	<b>122816493</b>	<b>6077000</b>	<b>128893493</b>	<b>26336507</b>

143(7)अ

20-02-18

सरकार के विशेष सचिव

(9)

20/2/18